

तहसीलदार मसूदा जिला-अजमेर (राज.)

राजस्व प्रकरण संख्या 66/2019

राजस्थान सरकार जारेमे

पटवारी हल्का खोबादोल

बनाम

श्री सोहन गोगला, मेराठ  
पिता श्री खोबादोल

शु राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट

के निर्णय :-


दिनांक : 8/5/2019

पञ्चावली पेश हुई । अप्राथी अनुपस्थित । मैंने पञ्चावली का अवलोकन किया । पटवारी हल्का खोबादोल द्वारा संवत् 2006 में ग्राम खोबादोल की सरकारी भूमि खसरा नम्बर 545 कुल रकबा 96311/2 किरम 435 में से रकबा 311 भूमि पर अप्राथी श्री सोहन पुत्र गोगला जाति गोगला निवासी खोबादोल द्वारा नाजायज गकान व बाड़ा कर लिये जाने की शु राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई । प्रकरण शु राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को शु राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 एल.आर. एक्ट के प्रावधानों के तहत नोटिस दिनांक 25.5.2019 को मुकाम गधूव पर उपस्थित होने बाबत जारी किया गया ।

अप्राथी नोटिस के जवाब में नियत पेशी दिनांक को अनुपस्थित रहा । अप्राथी बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित रहा । अतः अप्राथी के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है । भूमि नियमन योग्य नहीं है ।

मैंने पञ्चावली का विवेचनात्मक अध्ययन एवं मनन किया । अप्राथी बावजूद नोटिस तामिली के अनुपस्थित रहा । भूमि वर्तमान राजस्व रेकार्ड अनुसार सरकारी खाते में दर्ज है एवं अप्राथी बतौर अतिक्रमी उक्त भूमि पर काबिज है । अतः अप्राथी सोहन पुत्र गोगला जाति गोगला निवासी खोबादोल को भूमि ग्राम खोबादोल के खसरा नम्बर 545/3 रकबा 96311/2 किरम 435 में से रकबा 311 भूमि पर किये गये नाजायज कब्जे/काश्त के लिये अतिक्रमी घोषित किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि अप्राथी को उक्त भूमि में से बेदखल किया जायें एवं आर्थिक दण्ड के रूप में वार्षिक लगान 0.30 का पचास गुना 55 रुपये बतौर शास्ति आरोपित की जायें व मौके पर खड़ी फसल को जब्त सरकार कर नीलामी की जायें । आदेश की पालना में शु अभिलेख निरीक्षक/पटवारी हल्का को व डिमाण्ड फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 8/5/2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया एवं शामिल मिसल किया गया ।

  
तहसीलदार मसूदा

